औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मण्डी व आई0टी0आई0 (महिला) मण्डी, डाकघर मण्डी, तहसील सदर, ज़िला मण्डी के छात्र कल्याण निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/13 से 3/14 तक

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अतः बकाया अनिर्णीत पैरों को निपटाने हेतु शीध्र आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाएः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/06 से 3/11

1	पैरा–5 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (vi)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (viii)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–8	अंशतः निर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मण्डी व आई0टी0आई0 (महिला) मण्डी के अवधि 4/13 से 3/14 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री विजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 26.08.14 व 28.08.14 को मण्डी में किया गया। आय की विस्तृत ज़ाँच के लिये माह 7/13 व व्यय की विस्तृत ज़ाँच के लिये माह 4/13 के लेखाओं का चयन किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आई0टी0आई0 में ई0 देविन्द्र सिंह सँस्थाध्यक्ष एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहे।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन सँस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत एवं अपूर्ण सूचना तथा सूचना प्रदान ही न करने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मण्डी के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/14 तक के अंकेक्षण शुल्क का आँकलन ₹2200/—(दो हजार दो सौ रूपये) मात्र किया गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्या 975 दिनाँक 28.08.14 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला—9 को रेखांकित ड्राफ्ट के माध्यम से भेंजने का अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः—**

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निधि लेखों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट—"क व ख"** में दिया गया है।

(ख) निवेशः— संस्थान द्वारा 31.3.14 तक किए गए दीर्घकालीन निवेशों का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट "ग" (i) (ii) (iii) तथा (iv)** में दिया गया है।

नोटः— आई0टी0आई0 (महिला) की विभिन्न निधियों से निवेश की गई राशि की संलग्न विवरणी **परिशिष्ट "ग" (ii)** में पुनः निवेश की वर्तमान स्थिति नहीं दर्शाई गई है। अतः पुनः निवेश व परिपक्वता की तिथि अनुसार निवेश का ब्यौरा अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए।

5 **निवेश रजिस्टर का उचित रख रखाव न करनाः—**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मण्डी के विभिन्न निधियों से किए गए दीर्घकालीन निवेश के रजिस्टर की ज़ाँच पर पाया गया कि निवेशित राशियों के निवेश रजिस्टर में क्रमानुसार निवेशित राशियों की प्रविष्टियाँ दर्ज़ नहीं की गई है जिससे संस्थान द्वारा निवेश की गई राशि की परिपक्वता राशि व ब्याज की स्थिति का स्पष्ट ब्यौरा प्राप्त किया जा सके। अतः निवेश रजिस्टर में निवेशित राशि का क्रमानुसार स्पष्ट ब्यौरा दर्ज़ किया जाए तथा प्रविष्टियों

को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाते हुए अनुपालना से ज़ाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

6 **<u>प्रशिक्षुओं से जुर्माने की ₹1820/– की वसूली न करना:–</u>**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के 4/13 से 3/14 के अभिलेख की ज़ाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में प्रशिक्षणार्थियों से जुर्माना नहीं वसूला गया है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना की ज़ाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

संस्था	छात्र का नाम	माह	व्यवसाय	दिन	राशि
ITI (Men)	श्री विवेक कुमार	4/13	फिटर	17x20	340
	श्री कमल किशोर	4/13	ड्राईवर (मैकेनिक)	14x20	280
	श्री सतीश कुमार	9/13	फिटर	2x20	40
	श्री टेक चन्द	9/13	फिटर	8x20	160
	श्री रंगीला राम	9/13	कारपेन्टर	14x20	280
	श्री मेहर सिंह	9/13	–यथोपरि–	9x20	180
	श्री रंगीला राम	10/13	–यथोपरि–	19½x20	390
	श्री मेहर सिंह	10/13	–यथोपरि–	2x20	40
ITI (Women)	कु0 चम्पा देवी	10/13	Hair & Skin	5½x20	110
				कुल योग=	**₹1820**

7 **<u>रसीद बुकों की खपत का उचित अभिलेख न रखना:–</u>**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अभिलेख की ज़ाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से निधियों एवं आय की प्राप्ति हेतु ज़ारी रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर में रख–रखाव नहीं किया गया है जिस कारण रसीद बुकों के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपेक्षित स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव यथा संलग्न **परिशिष्ट "घ"** पर विहित प्रपत्रापुसार अपेक्षित सत्यापन/हस्ताक्षरो सहित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

8 **<u>भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापना न करवाना:–</u>**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार में पड़े सामान का सत्यापन नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम

2009 के नियम 140 (2) के अनुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्षभर में कम से कम एक बार किया जाना अपेक्षित है। अतः अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र करके अनुपालना की ज़ाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

9 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से ज़ारी नहीं की गई

10 **निष्कर्षः–**लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा वि
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)xi (xii) 245/88 खण्ड–3 दिनांक, 20.03.2015 शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 सरकार शिमला–171002
2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0
3 श्री मोहिन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा.........

पंजीकृत 4 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मण्डी व आई0टी0आई0 (महिला) मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीध्र भेजें।

हस्ता/'
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा वि
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1